

असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364|

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 5, 2011/आषाद 14, 1933

No. 364)

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 5, 2011/ASADHA 14, 1933

### कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2011

सा.का.नि. 507(अ).—केन्द्र सरकार, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 266क, 266ख तथा 266ङ के साथ पठित धारा 642 की उप-धारा (i) के खंड (क) और (ख) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 में आगे संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, नामत: :—

- संक्षिप्त नाम एवं लागू होने की तारीख.—
  - (1) इन नियमों को कम्पनी निदेशक पहचान संख्या (तीसरा संशोधन) नियम, 2011 कहा जाएगा।
  - (2) ये नियम 9 जुलाई, 2011 से प्रवृत्त होंगे।
- 2. नियम 2, उप-नियम (ii) के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

"निदेशक पहचान संख्या" (डीआईएन) का अर्थ है वह पहचान संख्या जो केन्द्र सरकार किसी व्यक्ति को, जो निदेशक के रूप में नियुक्त होना चाहता हो अथवा किसी कम्पनी के किसी मौजूदा निदेशक को उसकी पहचान के उद्देश्य से आवंटित कर सकती है तथा इसमें सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत जारी पदनामित भागीदारी पहचान संख्या (डीपीआईएन) शामिल है।"

3. डीआईएन-1 तथा डीआईएन-4 प्रपत्रों के स्थान पर निम्नलिखित प्रपत्र प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामत: :---

भारत संख्या क्रीआईस्ट्रन । [देखें कम्पनी (निदेशक प्रत्यान संख्या) नियम, 2006 का नियम 3(1), सीमित देयता

भागीदारी नियम, २००७ का नियम 10]

निदेशक पहचान संख्या के आवंटन हेत् आवेदन पत्र

# टिप्पणी - शबिहित सभी फील्ड भरना अनिवार्य है।

- भारत के लामित्रकों के मामले में आयकर स्थाई खाता संख्या (आयकर पैन) आवश्यक है और ऐसे मामले में अस्वेदक का विवरण आयकर पैन के अनुरूप होना चाहिए। यदि आयकर पैन के अनुसार विवरण सही न हों तो आवेदक को पहले आयकर पैन में विवरण सही करने का परामर्श दिया जाता है।

विवरण हेतु निदेश, पुस्तिका देखें।

-विदेशी लागरिकों हेतु पासपोर्ट संख्या आवश्यक है।

and the state of t	
1. 'आवेदक का नाम (पूरा नाम दें और संक्षितियों का प्रयोग न क	₹)
(क) पहला नाम	<b>फो</b> टोग्राफ
(ख) अंतिम नाम	
(ग) मध्य नाम	
2. 'पिता का नाम (विवाहित महिलाएं भी पिता का नाम दें)	(उपर्युक्त खाने में क्लिक करके
(क) पहला <b>नाम</b>	अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइउ
	फोटोग्राफ लगाएं) (विस्तृत विवस
(ख) अंतिम नाम	हेतु निदेश पुस्तिका देखें)
(ग) मध्य नाम	<b>फोटाबाफ</b> हटाएं
3. *क्या भारत के नाम्रिक हैं O हां O नहीं	
4. राष्ट्रीयता , ु5. <del>*ज़न्म</del> ् तिथि (	तारीख/माह/वर्ष)
6. *लिंग O पुरुष         O महिला 7. जन्म का स	थान
8. आयकर स्थायी खाता <mark>संस्था</mark> (आयकर:प्रैन <b>ीववरण</b> प्र	माणित कराएं)
9. वोटर की पहचान कर्ष संख्या	
१०. पासच्चेर्ट संख्या	
11. झुड़बिंग आइसेंस संह्या	
12. स्थायी द्विहायशीलम्हा	
*लाइन ।	•••••
लाइन II	*****

*शहर		
*राज्य *पिन कौंड		
*आईएसओ देश कोड		
देश		
दूरभाष *मोबाइल फैक्स		*******
*ई-मेल आईडी		
<ol> <li>*क्या वर्तमान रिहायशी पता स्थायी रिहायशी पता ही है</li> </ol>	O हां	O नहीं
14. वर्तमान रिहायशी पता		
*लाइन I		
लाइन II	••••	
•शहर	*****	
*राज्य *पिन कोड	••••	
भाईएसओ देश कोड		
रश		
दूरभाष फैक्स		

#### प्रमाणन

\*O एतद्द्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न फोटोग्राफ एयं दस्तावेज आवेदक के हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सभी अपेक्षित संलग्नक इस आवेदन के साथ पूर्ण रूप से संलग्न किए गए हैं।

\*O यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने आवेदक के उपरोक्त विवरण उसके मूल दस्तावेजों से सत्यापित कर लिए हैं। उन्हें सत्य, सही एवं मूल दस्तावेजों के अनुरूप पाया है।

नोट: यदि आवेदक भारत के बाहर निवास करते हैं तो निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ब्यौरों को सत्यापन प्राधिकारी द्वारा यथावत् सत्यापित किए गए दस्तावेजों से सत्यापित किया जाएगा।

\*O यह भी प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक ने निम्नितिखित के संबंध में सत्यापन भी प्रस्तुत किया है एवं सत्यापन की प्रति डीआईएन नियम के अनुलग्नक-। के अनुसार संलग्न की गई है-

\*O आवेदक को कंपनी अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(इ) सहित कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों के तहत किसी कंपनी के निदेशक अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 सहित उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के तहत किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार नियुक्त होने हेतु निषेध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है।

°O आवेदक को आर्थिक अपराध न्यायालय या न्यायिक दंडाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्-घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है।

\*O आवेदक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के तहत पदनामित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) आबंटित नहीं किया गया।

\*O मुझे आवेदक द्वारा आवेदन पर हस्ताक्षर करने एवं उसे जन्ना करने हेतु विधिवत रूप से प्राधिकृत किया गया है।

-	.~	· ~	$\sim$	. v.
संलग्नक	(विवरण	क लिए	निदेश	टख ।

स्तिक्वाक (विवर्का का लि	र निद्रा दख)			संलग्नकों की सूची
1. <sup>*</sup> आवेदक की पहचान	का प्रमाण	(संलग्न	करें)	
2. आवेदक की रिहायश	का प्रमाण	् (संलग्न	1	
3. *आवेदक द्वारा सत्याप		(संलग्न	·	
डीआईएन नियम के अनुस		•	•	
4. वैकल्पिक संलग्नक -		(संलग्न	करें)	
				संलग्नक हटाएं
डिजिटल हस्ताक्षर करें				
*श्रेणी			*****	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
	्र ज्यानी सचिव अथवा लागत ले	माकार के	मामने में (एए	किविक व्यवसायस्य)
चाटड जकाउटट जक्या प	ज्यना सायय जयमा सामत स	जायगर पर	वाकात व (पूर	विगासिया व्यवसायस्ता
**	) चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कंप	ानी सचिव	य <b>अथवा लाग</b> त	न लेखाकार की सदस्यता
संख्या अथवा प्रैक्टिस संर	<u>द्रया का प्रमाण-पत्र</u>			
एसोसिएट अथवा फैलो	O एसोसिएट	-	O फैलो	
वर्तमान कंपनी जिसमें आईसीएसआई का सदस्य	आवेदक निदेशक बनने हे है) के मामले में	तु प्रस्तार्ग	वेत हैं में पू	र्ण कालिक सचिव (जो
सचिव की सदस्यता संख्य	या		•	
•	O एसोसिएट		O फैलो	
	बंधित है और जिसमें आवेदक या		•	प्रस्तावित है उस कंपनी
कंपनी का नाम				
संशोधन इ	<u>वैक फार्म</u>	पूर्वसंवीङ	TT .	प्रस्तुत

यह ई फार्म केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक मोड से रिकॉर्ड पर लिया गया है और फार्म भरते समय आवेदक द्वारा दिए गएं सत्त्य विवरण पर आधारित है

### डीआईएन नियमों के अनुलग्नक-1 के अनुसार फार्म डीआईएन-1 के मामले में आवेदक का सत्यापन

मै	(आवेदक का नाम), सुपुत्र/सुपुत्र	ी' (आवेदक के पिता
का नाम) जन्म तिथि	पता	(आवेदक का वर्तमान
रिहायशी पता) एतद् द्वारा पुष्टि एव	ग्रं सत्यापित करता हूं कि डीआई	एन-। फॉर्म में दिया गया विवरण सत्य
एवं सही है तथा डीआईएन-। फार्म	के साथ संलग्न प्रपत्र के अनुरूष	<b>ग है।</b>

## में यह भी पुष्टि करता हूं कि

- (i) डीआईएन-1 फार्म में लगाया गया फोटोग्राफ एवं प्रपत्र मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि सभी अपेक्षित प्रपत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित हैं एवं डीआईएन-1 फार्म के साथ संलग्न किए जा रहे है तथा
- (ii) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों एवं उक्त अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(ङ) के तहत मुझे किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त होने से या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 के प्रावधानों सिहत उक्त अधिनियम की धारा 5 के तहत किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार के रूप में नियुक्त होने से निषेध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है तथा
- (iii) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्-घोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा
- (iv) मुझे कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के तहत पदनामित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) पहले आवंटित नहीं किया गया है।
- (v) श्री/सुश्री......(प्रेक्टिसरत चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार) को मैंने अपनी ओर से डीआईएन आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

'नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षरः

(नाम)

फार्म संख्या डीआईएन 4

[देखें कम्पनी (निदेशक पहचान संख्या) नियम, 2006 का नियम 7, सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 का नियम 10] निदेशक/पदनामित भागीदार के विवरण में परिवर्तन की केन्द्र सरकार को दी जाने वाली सूचना

<ol> <li>(क) 'निदेशक पहचान संख्या</li> <li>(ख) नाम</li> </ol>		J
2. *परिवर्तन के प्रकार		
O निदेशक/पदनामित भागीदार का	नाम 🔾 पिता का नाम	O राष्ट्रीयता
O जन्म तिथि	O लिंग	O आयकर पैन संख्या
O मतदाता पहचान-पत्र संख्या	O पासपोर्ट संख्या	O ड्राइविंग लाइसेंस संख्या
O ई-मेल आईडी/मोबाइल	O स्थाई रिहायशी पता	O वर्तमान रिहायशी पता
वही सूचना भरें जिसे ठीक किया र 3. निदेशक/पदनामित भागीदार का (क) पहला नाम (ख) अंतिम नाम (ग) मध्य नाम	ा नाम (पूरा नाम भरें तथा सं	
4. पिता का नाम (विवाहित म	ाहिलाएं अपने पति का नाम <i>रे</i>	<b>t</b> )
(क) पहला नाम	***************************************	(उपर्युक्त खाने में अपनी नवीनत
(ख) अंतिम नाम		पासपोर्ट साइज कोटोग्राक लगाएं
(ग) मध्य नाम	.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	(विवरण के तिए निदेश देखें)
5. क्या भारत के नागरिक हैं 6 राष्ट्रीयता 7. जन्म निथि (दिवसा		फोटाग्राफ हटाएं
७ .च.८.४ । । ११८४/मा	C.(r)N()	

8. तिंग	O पुरुष	O महिला			
9. आयकर स्थायी	खाता संख्य	॥ (आयकर पैन)	********	••••	
(आंयकर पैन विवर्ष	ग प्रमाणित	कराएं)			
10. वोटर की पहचा	न कार्ड संख	व्या			
<ol> <li>पासपोर्ट संख्या</li> </ol>	**********	*****			
12. ड्राइविंग लाइसँस	। संख्या	*****	13.	'मोबाइत	
14. 'ई-मेल आई	डी		•••••	••••••	
15. स् <mark>थायी रिहायशी</mark>	पता				
ताइ <b>न</b> I	***********			************	
ला <b>इ</b> न II		***********		***************************************	
शहर		•••••		•••••	
राज्य		पिन कोड	<b>5</b>	************	÷
भाईएसओ देश कोड	***********		••••		
देश		~~~	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••	
दूरभाष	• • • • • • • •	<b>্ট</b>	₹	******	
i6. क्या <b>स्था</b> यी रिह	तयशी पता	ही वर्तमान रिहार	ाशी पता है	O हां	O नहीं
<b>17. वर्तमान</b> रिहायर	ी पता				
लाइन I				***********	
बा <b>ड्</b> न II	**********			***********	
शहर			**********	*****	
तन्य		पिन कोड .	*******		
भाईएसओ देश कोड		*****************			
श	**********	**********			
द्रभाष	फ़ैक्स	r	*********		

### प्रमाणन

'O एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि संलग्न फोटोग्राफ और संलग्न दस्तावेज निदेशक/पदनामित भागीदार के हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि इस प्रपत्र के साथ सभी अपेक्षित संलग्नक लगाए गए हैं।

\*O यह भी प्रमाणित किया जाता है कि मैंने निदेशक/पदनामित भागीदार के उपर्युक्त विवरणों की निदेशक/पदनामित भागीदार के मूल दस्तावेजों से जांच की है। मैंने उन्हें सत्य और सही तथा संलग्न दस्तावेजों के अनुरूप पाया है।

नोटः यदि निदेशक/पदनामित भागीदार भारत के बाहर निवास करते हैं तो निर्देश पुस्तिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार ब्यौरों को सत्यापन प्राधिकारी द्वारा यथावत् सत्यापित किए गए दस्तावेजों से सत्यापित किया जाएगा।

\*O यह भी प्रमाणित किया जाता है कि निदेशक/पदनामित भागीदार ने निम्नलिखित के संबंध में सत्यापन दिया है और डीआईएन नियमों के अनुलग्नक-2 के अनुसार निदेशक द्वारा दिए गए सत्यापन की प्रति संलग्न है-

- \*O निदेशक/पदनामित भागीदार को कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों जिनमें उक्त अधिनियम की धारा 203, 274, 284 तथा 388(इ) शामिल हैं, के अंतर्गत कंपनी में निदेशक के रूप में नियुक्त किए जाने या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 सित उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार के रूप में नियुक्त होने से निषेध/अयोग्य/हटाया नहीं गया है।
- \*O निदेशक/पदनामित भागीदार को किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय द्वारा उद्-घोषित अपराधी घोषित नहीं गया है।
- \*O निदेशक को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत आवंटित डीआईएन, जिसमें परिवर्तन सूचित किए जा रहे हैं, के अतिरिक्त अन्य कोई डीआईएन अथवा सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा ७ के तहत पदनामित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) आवंटित नहीं की गई है।
- \*O मुझे इस फार्म पर हस्ताक्षर करने व इसे प्रस्तुत करने के लिए निदेशक द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया गया है।

[ माग II—खण्ड 3(i)]	भारत का राजपत्रः : असाधारण	
संलग्नक		
		संलग्नकों की सूची
1. *विवरण में परिवर्तन का प्रमाण	(संलग्न करें)	
2. *निदेशक द्वारा सत्यापन की प्रति	<b>(</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
डीआईएन नियमों के अनुलग्नक-2 के अ	•	
3. वैकल्पिक संलग्नक – यदि हों	(संलग्न करें)	
00-1		संलग्नक हटाएं
डिजिटल हस्ताक्षर किए जाने हेतु		
*श्रेणी		
चार्टर्ड अकाउंटेंट अथवा कम्पनी स	चिव अथवा लागत लेखाकार के	मामले में (पूर्णकालिक
व्यवसायरत)		$\frac{1}{N_1}$
(पूर्णकालिक व्यवसायरत) चार्टर्ड अव	काउंटेंट भथवा कंपनी सचिव भथव	ा लागत होखकार की
सदस्यता संख्या अथवा प्रैक्टिस संख्य		
	O एसोसिएट O फैलो	•
वृतमान कंपनी जिसमें आवेदक निदे	· · ·	र्ग कालिक सचिव (जो
आईसीएसआई का सदस्य है) के माम	ले में	
वर्तमान कंपनी में पूर्णकालिक रूप से	तियक मचिव की महस्यता मंख्या	
	O एसोसिएट O फैलो	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
उस कंपनी की कारपोरेट पहचान संख्य	या (सीआईएन) जिससे स <b>चि</b> व और वि	नेदेशक संबंधित हैं
कंपनी का जनग		गरने में भग रूप
कंपनी का नाम	***************************************	पहले से भरा हुआ
***************************************	***************************************	472167225426242642444444

यह ई फार्म केन्द्र सरकार द्वारा इलेक्ट्रोनिक मोड से रिकॉर्ड पर लिया गया है और फार्म भरते समय आवेदक द्वारा दिए गए सत्य विवरण पर आधारित है

पूर्वसंवीक्षा

प्रस्तुत

चैक फार्म

250391711-2

संशोधन

# <u>डीआईएन नियम के अनुलग्नक-2 के अनुसार प्रपत्र डीआईएन-4 के मामले में निदेशक का</u> सत्यापन

<b>मै.</b>	(निदेशक/पदनामित भागीदार का नाम),
सुपुत्र/सुपुत्री'	(निदेशक/पदनामित भागीदार के पिता
का नाम) जन्म तिथि	पता
(निदेशक का वर्तमान रिहायशी पता) एतद् ह	
डीआईएन-4 फॉर्म में दिया गया विवरण सत्य	•
साथ संलग्न प्रपत्र के अनुरूप है।	

- (i) मैंने निम्नलिखित परिवर्तन के लिए आवेदन किया है:-
  - (क) निदेशक/पदनामित भागीदार का नाम (प्रमाण सहित और नाम परिवर्तन के मामले में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतिलिपि)
  - (ख) पिता का नाम (प्रमाण सहित)
  - (ग) राष्ट्रीयता (प्रमाण सहित)
  - (घ) जन्म की तारीख (प्रमाण सहित और जन्म की तारीख में परिवर्तन के मामले में राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की प्रतिलिपि)
  - (ङ) लिंग (प्रमाण सहित)
  - (च) आय कर स्थायी खाता संख्या (प्रमाण सहित)
  - (छ) मतदाता पहचान पत्र संख्या (प्रमाण सहित)
  - (ज) पासपोर्ट संख्या (प्रमाण सहित)
  - (झ) ड्राइविंग लायसेंस संख्या (प्रमाण सिहत)
  - (স) ई-मेल पता/मोबाइल संख्या (घोषणा सहित)
  - (ट) स्थायी रिहायशी पता (प्रमाण सहित)
  - (ठ) वर्तमान रिहायशी पता (प्रमाण सहित)

# में यह भी पृष्टि करता हूं कि

- (ii) डीआईएन-4 फॉर्म में लगाया गया फोटोग्राफ एवं प्रपत्र मेरे हैं। मैं यह भी पुष्टि करता हूं कि सभी अपेक्षित प्रपत्र संबंधित सरकारी प्राधिकारी द्वारा विधिवत जारी किए गए हैं एवं डीआईएन-4 फॉर्म के साथ संलग्न किए जा रहे है तथा
- (iii) कंपनी अधिनियम, 1956 के उपबंधों एवं उक्त अधिनियम की धाराओं 203, 274, 284 एवं 388(ङ) के तहत मुझे किसी कंपनी का निदेशक नियुक्त होने से या

सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 सहित उक्त अधिनियम की धारा 5 के प्रावधानों के तहत किसी सीमित देयता भागीदारी में पदनामित भागीदार के रूप में नियुक्त होने से निषध नहीं किया गया है/अयोग्य नहीं ठहराया गया है/हटाया नहीं गया है तथा

- (iv) मुझे किसी आर्थिक अपराध न्यायालय अथवा न्यायिक दण्डाधिकारी न्यायालय या उच्च न्यायालय या किसी अन्य न्यायालय द्वारा उदघोषित अपराधी घोषित नहीं किया गया है तथा
- (v) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 266ख के तहत मैंने जिस डीआईएन में परिवर्तनों की सूचना दी है उसके अतिरिक्त मुझे कोई अन्य निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) या सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 की धारा 7 के तहत पदनामित भागीदार पहचान संख्या (डीपीआईएन) पहले आवंदित नहीं की गई है।
- (vi) श्री/सुश्री......(प्रेक्टिसरत चार्टर्ड अकाउंटेंट/कंपनी सचिव/लागत लेखाकार) को मैंने अपनी ओर से डीआईएन आवेदन पर डिजिटल हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया है।

'नोट: जो लागू न हो उसे काट दें।

हस्ताक्षर: (नाम)

[फा. सं. 2/1/2011-सीएल-V] अविनाश कु. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

हिष्ण: प्रधान अधिसूचना दिनांक 19.10.2006 को सा.का.नि. 649(अ) द्वारा प्रकाशित हुआ था तथा इसमें अंतिम संशोधन दिनांक 02.06.2011 के सा.का.नि. 427(अ) द्वारा किया गया था।

### MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 5th July, 2011

G.S.R. 507(E).—In exercise of the powers conferred by clause (A) and (b) of sub-section (1) of section 642 read with sections 266A, 266B and 266E of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), the Central Government hereby makes the following rules, further to amend the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006 namely:-

### 1. Short title and commencement

- (1) These rules may be called the Companies Director Identification Number (Third Amendment) Rules, 2011.
- (2) They shall come into force with effect from 9<sup>th</sup> July, 2011.
- 2. For rule 2, sub-rule (ii), following shall be substituted:-

"Director Identification Number" (DIN) means an identification number which the Central Government may allot to any individual, intending to be appointed as director or to any existing directors of a company, for the purpose of his identification as such and includes Designated Partnership Identification Number (DPIN) issued under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and rules made thereunder."

3. For Forms DIN-1 and DIN-4, the following Forms shall be substituted, namely:-

# FORM NO. DIN-1

Application for allotment of Director Identification Number

[See Rule 3(1) of the Companies (Director Identification Number) Rules, 2006, Rule 10 of Limited Liability Partnership Rules, 2009]

Note -

- All fields marked in \* are to be mandatorily filled.
- Income-tax Permanent Account Name (Income-tax PAN) is mandatory in case of Indian nationals and in such case applicant details should be as per Income-tax PAN. In case the details as per Income-tax PAN are incorrect, applicant is advised to first correct the details in Income-tax PAN. Refer instruction kit for details.
- In case of foreign nationals, Passport number is mandatory.

1. *Applicant's na	ıme (Enter full	name and	io not use abb	reviations)		Photograph
(a) First name			-			Į
(b) Last name				<del></del>		
(c) Middle name						
2. 'Father's name	(Even married	d women m	ust give father	's name)		
(a) First name						ach a latest passant size
(b) Last name					pho	ach a latest passport size tograph by clicking on
(c) Middle name		<u> </u>			abo	ve box)
3. Whether a citiz	en of India (	○ Yes	○ No	-		Remove Photograph
4. Nationality			5. *Date	of birth		(DD/MM/YYYY)
6. *Gender	Male (	Female	7. Place	e of birth		
8. Income-tax pen	nanent account	t number [			Vorify la	come-tax PAN details
9. Voter's identity	card number	լ [			Verily in	Cone-tax FAN details
-		L [		<del></del>	<del>-</del>	
<ul><li>10. Passport numi</li><li>11. Driving license</li></ul>		Ĺ	— <del>—</del> -		=	
12. Permanent re		Ĺ				
*Line 1					<del>_</del>	
Line II	<del></del>	<del>_</del>		<del></del>		<del></del>
*City					<u> </u>	
*State			<del></del>	<u> </u>	*Pin code	<del></del>
'ISO country code					FIII COGG	
Country	<u></u>	<u> </u>				
Phone		*Mobile		<u>`</u>	Fax	<del></del>
'e-mail ID	_ <del>_</del> _					<u></u>
<u> </u>		addroon in a		ont recidential		
13. *Whether pres	ent residential	auuress is s	впие аз реплап	ent residential	address () Y	es () No
14. Present resid	ential address	·				
Line I					·	
Line II						
City						
State					Pin code	
ISO country code		<u> </u>				
Country						
Phone		Fax				

Certification						
		e attached photograchments have be				ant. It is further
		ave verified the ab e true and correct				I documents of the ocument.
		plicant is residing on the place of the plac		•	ve to be verified	from the documents
		applicant has give exure - 1 of the DI			he following and	copy of verification
under or for	the provisions being appointe		t,1956 including partner of a lim	Sections 203, ited liability pa	274, 284 and 38 rtnership under t	or of a company 8(E) of the seid Act he provisions of the
		t been declared as Court or High Court			Economic Offence	Court or
Com	panies Act, 1956	t been allotted a D 5 or a Designated I nership Act, 2008.	Partner Identifica			
	•	by the applicant t		nit this applicat	tion.	
Attachments (Re	fer instruction	kit for details)			List of atta	ichments
1. *Proof of ident	ity of applicant		Attac			
2. *Proof of resid	ence of applica	ant	Attac	n		
3. * Copy of venifi as per Annex	cation by the agure - 1 of the D		Attac	h		
4. Optional attact	nment(s) - if an	y	Attac	n		
					Remove a	ttachment
To be digitally si	gned by					
*Category						
In case of Charte	red accounta	лt or Company se	ecretary or Cos	t accountant	(in whole- time	practice)
•		e of practice numb ccountant (in whole		accountant		
Whether associate	e or fellow					
In case of secret		ember of ICSI), in director	wholetime em	ployment of e	existing compar	y in which the
Membership num	ber of the secre	etary		Γ		
Whether associate	e or fellow		Fellow	_		
		of company with v		s		
Name of company	<u> </u>					Pre-fill
Modify		Check Form	 	Prescrutiny		Submit

This eForm has been taken on record by the Central Government through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the person filing the form

ग II— खण्ड	उ(१) पारत का राजपत्र : असाधारण
<u>Veri</u> fi	cation of applicant in case of Form DIN-1 as per Annexure 1 of the DIN rules
birth) reside partic	I
1 furth	er confirm that
(i)	The photograph and document being attached to the Form DIN-1 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly certified by the respective government authority and are being attached to the Form DIN-1 and
(i)	I am not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act, 1956 including Section 203, 274, 284 and 388 (E) of the said Act or for being appointed as a designated partner of a limited liability partnership under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 including section 5 of the said Act and
(ii)	I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court and
(ìíw)	I have not been already allotted a Director Identification Number (DIN) under Section 266B of the Companies Act, 1956 or a Designated Partner Identification Number (DPIN) under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.
( <b>v</b> )	Mr/ Ms CA/ CS/ CWA in practice has been authorised to digitally sign DIN application on my behalf.
*Note	; Strike out whichever is not applicable.
	Signature: (Name)
[See Rule	RMNO. DIN-4  7 of the Companies (Director ion Number) Rules, 2006, Rule 10 of ability Partnership Rules, 2009]  Intimation of change in particulars of Director/ Designated Partner to be given to the Central Government
Note -	
- In case of cases eve should be	marked in " are to be mandatorily filled.  Indian nationals, Income-tax Permanent Account Name (Income-tax PAN) is mandatory in all entit if there is no change in Income-tax PAN. In such cases, director/ designated partner details as per Income-tax PAN are incorrect, director/ departner is advised to first correct the details in Income-tax PAN. Refer instruction kit for details
1.(a) *Direc	for Identification Number (DIN)
(b) Name	

2. * Type of change:							
Director/ Designated Partner Name	Father's name	Nationality					
Date of birth	Gender	Income-tax PAN					
Voters Identity card number	Passport number	Driving license number					
E-mail ID/ Mobile	Permanent residential address	Present residential address					
Enter information that needs to be corrected. Enter only the relevant field(s)							
3. Director's/ Designated Partner's name (Enter full name and do not use abbreviations)							
(a) First name		Photograph					
(b) Last name							
(c) Middle name		}					
4. Father's name (Even married women	must give father's name)	}					
(a) First name							
(b) Last name							
(c) Middle name		(Attach a latest passport size photograph by clicking on					
5. Whether a citizen of India Yes	○ No	above box)(Refer instruction kit for details)					
6. Nationality	]	Kit for details)					
7. Date of birth	(DD/MM/YYY)	Remove Photograph					
8. Gender	le						
Income-tax permanent account number		Venity Income-tax PAN details					
10. Voter's identity card number							
11. Passport number							
12. Driving license number	13.	Mobile					
*14. e-mail ID							
15. Permanent residential address							
Line 1							
Line 11							
City							
State	F	Pin code					
ISO country code							
Country							
Phone		Fax					
16. Whether present residential address is	same as permanent residential addres	s () Yes () No					
17. Present residential address							
Line I							
Line !!							
City							
State State		Pin code					
ISO country code							
Country							
Phone		Fax					
Certification							

It is hereby certified that the attached photograph and attached documents are of the director/ designated partner. It is further certified that all required attachments have been completely attached to this form.

It is further certified that I have documents of the director/ desi- attached documents.			-	•	•	
Note: In case where the directo documents duly attested by the					o be verified from the	
It is further certified that the dire verification by the director/ design.	ector/ designated part	tner has given	a verification in r	respect of the fo		
" the director/ designated company under the pro- or for being appointed a Liability Partnership Act	partner is not restrait visions of Companies as a designated partn	ined/ disqualifie s Act,1956 inclu er of a limited l	ed/ removed of, t uding Sections 2 liability partnersh	for being appoin 93, 274, 284 an	ted as director of a d 388(E) of the said Ad	
the director/ designated Judicial Magistrate Cou	•	•	proclaimed offen	der by any Econ	omic Offence Court or	
the director/ designated section 266B of the Cor the Limited Liability Par	mpanies Act,1956 or			•		
I have been duly authorised by		ted partner to s	sign and submit I	this form.		
Attachments			_	List of attachments		
1. *Proof of change in particula	ırs		Attach			
Copy of verification by the cas per Annexure - 2 of the D		partner	Attach		\(\frac{1}{2}\)	
3. Optional attachment(s) - if ar	у		Attach			
To be digitally signed by	·			Remove	attachment	
*Category						
in case of Chartered accountar	nt or Company secre	tary or Cost ac	countant (in who	 ble- time practice	<del>?</del> )	
Membership number or certific or Company secretary or Cost	•			<u> </u>		
Whether associate or fellow	Associate	O Fellow				
In case of secretary (who is a director is associated Membership number of the sec	·				with which	
Whether associate or fellow		← Fellov				
Corporate identity number (CIN	O	0		·		
associated					Pre-fill	
Name of company				<del>_</del>		
Marita	Chall E-	<del></del>		<del></del>		
Modify	Check Form		Prescrutiny		Submit	
This eForm has been taken of statement of correctness verification of director/ dethe DIN rules  I,	given by the person esignated partne e of director/ designated partner's sident of	n filing the form r in case of leading parted partner father's name lesignated partner partner partner father's name lesignated partner father's partner father's name lesignated partner father fathe	Form DIN-4 a er), Son/Daugle), born on ertner) hereby	s per Annexu nter* of confirm		
	s of the director/ d irs given in the Foi	lesignated pa rm DIN-4 are	rtner) hereby true and corre	confirm ect and		

- (i) I have applied for change of:-
  - a) Director/ Designated Partner Name (along with proof and in case of change of name a copy of Notification published in the Gazette)
  - b) Father's name (along with proof)
  - c) Nationality (along with proof)
  - Date of Birth (along with proof and in case of change in date of birth, copy of Notification published in the Gazette)
  - e) Gender (along with proof)
  - f) Income –Tax Permanent Account Number (along with proof)
  - g) Voters Identity Card Number (along with proof)
  - h) Passport Number (along with proof)
  - i) Driving License Number (along with proof)
  - j) Email ID/ Mobile (along with declaration)
  - k) Permanent residential address (along with proof)
  - I) Present residential address (along with proof)

#### I further confirm that

- (ii) The photograph and document being attached to the Form DIN-4 belong to me. I further confirm that all required documents have been duly issued by the respective government authority and are being attached to the Form DIN-4 and
- (iii) I am not restrained/ disqualified/ removed of, for being appointed as director of a company under the provisions of Companies Act, 1956 including Section 203, 274, 284 and 388 (E) of the said Act or for being appointed as a designated partner of a limited liability partnership under the provisions of the Limited Liability Partnership Act, 2008 including section 5 of the said Act and
- (iv) I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Offence Court or Judicial Magistrate Court or High Court or any other Court and
- (v) I have no any other allotted Director Identification Number (DIN) other than DIN in which changes are intimated under Section 266B of the Companies Act, 1956 or a Designated Partner Identification Number (DPIN) under section 7 of the Limited Liability Partnership Act, 2008.
- (vi) Mr/ Ms ....... CA/ CS/ CWA in practice has been authorised to digitally sign DIN application on my behalf.

\*Note: Strike out whichever is not applicable.

Signature: (Name)

[F. No. 2/1/2011-CL. V] AVINASH K. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Note: The Principal notification was published vide number G.S.R. 649(E) dated the 19<sup>th</sup> October, 2006 and last amended vide G.S.R. 427 (E) dated the 2<sup>nd</sup> June, 2011.